रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org
RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 33677–718

दिनांक: 30.10.2013

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय :- राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरुप न लगाने के संबंध में।

महोदय,

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में आगामी दिसम्बर माह में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने है। लोकतंत्रात्मक पद्धति में होने वाले सभी तरह के चुनावों में राजस्थान के कॉलेज शिक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाते रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य से कई बार लापरवाही से या साशय कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी उनके पद, वेतन एवं वेतनमान की गरिमानुसार नहीं लगाई जाती, इससे कॉलेज शिक्षकों में न केवल व्यापक असंतोष उत्पन्न होता है वरन् चुनाव कार्य करने की उनकी मनस्थिति भी प्रभावित हो जाती है।

पूर्व के चुनावों में राज्य के कुछ स्थानों पर इस तरह के अप्रिय उदाहरणों को देखते हुए ही समय पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार को मैंने पत्र क्रमांक 33634-636 दिनांक 3-9-2013 द्वारा इस संबंध में उचित आदेश प्रसारित करने का आग्रह कर दिया था।

इस विषय में आपका ध्यान भारत के चुनाव आयोग के आदेश सं. 576/3/2004/JS-II दिनांक 9-8-2004 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें यह उल्लेखित है कि

"...........The scale of pay, rank and status of officials to be requisitioned need to be set out in the requisition order itself for which the Chief Electoral Officer should set a uniform criteria for the state as a whole."

"...............In drawing up the seniority list of officials required for election duty. the District Election Officer should take into account at the outest the pay. rank and status of the officials nominated and classify them accordingly for purposes of randomization for which detaited instructions are available."

चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 464/INST/2009/EPS दिनांक 18-2-2011 में पुनः उल्लेखित किया गया है कि-

"........It is reiterated that while requisitioning of the staff for conduct of future elections, their rank, salary etc. should be kept in mind while making appointment and assigning duties to them."

किन्तु अत्यन्त खेद के साथ आपको निवेदन करना पड़ रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा बार-बार जारी स्पष्ट निर्देशों एवं संगठन द्वारा समय पूर्व सूचना दिये जाने के बाद भी राजस्थान के कुछ जिलों में जानबूझकर/लापरवाही से कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी उनकी रैंक, वेतन एवं वेतनमान के अनुसार नहीं लगाई गई।

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: ....

पिछले दो-तीन दिनों में बारां, राजसमंद, जयपुर, हनुमानगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कई कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के रूप में लगाई गई है, ये शिक्षक 15900-39100 एवं 37400-67000 के वेतनमान में कार्यरत है। वहीं दूसरी तरफ पद, वेतन एवं वेतनमान में इनसे बहुत जूनियर कर्मचारियों को सेक्टर आफिसर के रूप में लगाया गया है। राजस्थान के कई जिलों में तो स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों (व्याख्याताओं) को जो पद, वेतन एवं वेतनमान में बहुत कनिष्ठ है, सेक्टर अधिकारी लगाया गया है। क्या ये चुनाव आयोग के 9-8-2004 एवं 18-2-2011 के उपर्युक्त निर्देशों का गंभीर उल्लंघन नहीं है?

कतिपय शिक्षकों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी बारां एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजसमंद को इस संबंध में मिलकर आपत्ति भी दर्ज करवाई गई, किन्तु वहाँ से किसी तरह का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। राजसमंद के ए.डी. एम. ने तो चुनाव आयोग के निर्देशों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि-''चुनाव कार्य में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, जो कार्य दिया वह करना ही पड़ेगा।''

बहुत क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है इस तरह के प्रकरणों में कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनकी टीम अत्यन्त रुखा व्यवहार करते हैं तथा इस तरह की विसंगतियों को बताने एवं चुनाव आयोग के निर्देशों का उद्धरण देने पर वे चुनाव आयोग द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का हवाला देकर गंभीर कार्यवाही करने की धमकी देते हैं तथा पद, वेतन एवं वेतनमान की गरिमा से नीचे ड्यूटी करने को बाध्य करते हैं। प्रायः ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत रूप से स्थानीय स्तर पर मिलने पर कोई समाधान नहीं मिलता। इसमें न केवल चुनाव आयोग की साख पर प्रश्न चिह्न लगता है वरन् चुनाव कार्य का ठीक प्रकार सम्पन्न होना भी संदेहास्पद हो जाता है।

यह जानकारी आपके संज्ञान में लाते हुए आपसे आग्रह है कि इस संबंध में पूर्व में चुनाव आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवा कर राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों की ड्यूटी उनके पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरूप ही लगाने के आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावें। साथ ही जिन कॉलेज शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरूप नहीं है, उनकी ड्यूटी निरस्त करवाकर न्याय प्रदान करें।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, बारां/राजसमंद/जयपुर/हनुमानगढ़
3. शेष समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी गण, राजस्थान
4. इकाई सचिव रुक्टा (रा.) राजकीय महाविद्यालय, बारां/आमेट/भीम/नाथद्वारा/हनुमानगढ़/जयपुर जिला

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]